

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 213

SM-PRO-2021-001468

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध प्रखर बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता-कृष्णा विहार प्राईड,
जगतपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“कृष्णा विहार प्राईड”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
26/10/2021	<p>– प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>– अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट “कृष्णा विहार प्राईड” धीमरापुर रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) स्थित अपने आवासीय भूखण्डीय विकास प्रोजेक्ट का छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन कराने हेतु आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 की धारा-3 के परिप्रेक्ष्य धारा-4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्रमोटर को प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं निर्धारित शुल्क छत्तीसगढ़ रेरा में जमा कराना अनिवार्य है। उक्ताशय के संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक 3/रेरा/2018, दिनांक 28/03/2018, क्रमांक 14/रेरा/2018, दिनांक 27/07/2018 एवं आदेश क्रमांक 10/रेरा/2019, दिनांक 10/01/2019 आदेश क्रमांक 11/रेरा/2019 दिनांक 10/01/2019 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे, जो कि प्राधिकरण के वेबसाइट पर सहज उपलब्ध है।</p> <p>– परन्तु अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन में पंजीयन हेतु आवश्यक समस्त अनिवार्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः प्राधिकरण ने अनावेदक द्वारा अधिनियम की धारा-3 (1) एवं 11 (2) का उल्लंघन करने के कारण दिनांक 24.08.2021 को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को प्राधिकरण के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया।</p> <p>– अनावेदक ने अपने सी. ए. के माध्यम से प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया है कि उसने संपूर्ण जानकारी प्राप्त किये बगैर प्रश्नाधीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था। परन्तु अनावेदक</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 213

SM-PRO-2021-001468

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध प्रखर बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता-कृष्णा विहार प्राईड,
जगतपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“कृष्णा विहार प्राईड”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>को दिनांक 24.10.2017 को विवादित प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। अतः अनावेदक ने पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन को वापस लेने का अनुरोध किया है।</p> <p>– प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। हाँलाकि अनावेदक ने विवादित प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु वर्ष 2018 में आवेदन प्रस्तुत करने पश्चात् एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से दिनांक 30.05.2018 को पंजीयन शुल्क रुपये 16,600/- का भुगतान किया है। परन्तु अनावेदक द्वारा पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज –रेरा विनिर्दिष्ट खाता विवरण, विकास अनुज्ञा आदि दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अनावेदक द्वारा उपरोक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी है। अनावेदक का उक्त कृत्य अधिनियम की धारा-3 का उल्लंघन है, जो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-59 अंतर्गत प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत के 10 प्रतिशत तक की शास्ति तथा तीन वर्ष तक के कारावास से दंडणीय है। चूँकि अनावेदक को दिनांक 24.10.2017 को सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से विवादित प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। अतः अनावेदक पर उपरोक्त उल्लेखित प्रावधान अनुसार कोई शास्ति अधिरोपित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। किन्तु विवादित प्रोजेक्ट को अधिनियम के प्रवर्तन उपरांत वर्ष 2017 में कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है और अनावेदक की अरुचि के कारण पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की जा सकी है। अनावेदक ने प्रोजेक्ट पूर्ण होने की सूचना भी वर्तमान प्रकरण में नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् प्रस्तुत की है। अतः अनावेदक द्वारा पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन को नामंजूर करते हुये राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त अनावेदक से यह शपथ पत्र प्राप्त किया जाना चाहिये कि वह भविष्य में विवादित प्रोजेक्ट व अन्य प्रोजेक्ट के संबंध में अधिनियम के प्रावधानों का परिपालन करेगा।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 213

SM-PRO-2021-001468

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध प्रखर बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता-कृष्णा विहार प्राईड,
जगतपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“कृष्णा विहार प्राईड”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>– उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :-</p> <ol style="list-style-type: none">1) प्राधिकरण द्वारा विवादित प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु जमा राशि को राजसात करते हुये अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु प्रस्तुत आवेदन नामंजूर किया जाता है।2) अनावेदक, दो माह के भीतर उपरोक्तानुसार उल्लेखित शपथ पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। यदि अनावेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अनावेदक के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी। <p>– आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>– प्रकरण नस्तीबद्ध कर, अभिलेख कोष्ट भेजा जावे।</p> <p style="text-align: center;">सही / – (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p> <p style="text-align: center;">सही / – (विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 213

SM-PRO-2021-001468

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध प्रखर बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता-कृष्णा विहार प्राईड,
जगतपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“कृष्णा विहार प्राईड”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
------------------------------------	---------------------	--

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक – 213

SM-PRO-2021-001468

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरुद्ध प्रखर बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स, पता-कृष्णा विहार प्राईड,
जगतपुर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

प्रोजेक्ट-“कृष्णा विहार प्राईड”

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
------------------------------------	---------------------	--